

समाहरणालय, पूर्वीचम्पारण, मोतिहारी।

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

आदेश

वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण निहित उप मुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि के लिए लघुशीर्ष-101-अनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति, मांग संख्या-39 विषय शीर्ष-21.03 आहार/पथ विपत्र कोड-N2245021010002 मद में आगामी पत्र संख्या-05 दिनांक 06.05.2014 द्वारा इस जिले को प्राप्त मो0 5,00,000.00 (पांच लाख) रुपये एवं पत्र संख्या-08 दिनांक 20.05.2014 द्वारा मो0 80,00,000.00 (अस्सी लाख) रुपये कुल मो0 85,00,000.00 (अस्सी लाख) रुपये के आवंटन में से कुल मो0 6174667.00 (एकसठ लाख चौहत्तर हजार छः सौ सड़सठ) रुपये निम्नानुसार अनुमण्डल पदाधिकारियों को कॉलम 4 में अंकित राशि उपावटित की जाती है।

यह आवंटन वर्ष 2013 की बाढ़ में मुफ्त खाद्यान्न के मूल्य भुगतान हेतु उपावटित किया जाता है।

उपावटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद में राशि का उपावटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इस के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। उपावटित राशि की निकासी यथा सम्भव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही किया जाय। उक्त आवंटन पत्र के कंडिका 6 में निहित वाक्यांश के आलोक में अपरिहार्य कारण वश ही राशि का अग्रिम निकासी ए0 सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय तथा अग्रिम के तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय बिहार पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला आपदा प्रबंधन शाखा का प्रस्ताव सुनिश्चित करेंगे।


आवटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। अन्यथा आकड़े के त्रुटि पूर्ण वर्गीकरण की सारी जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

यदि आवटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवेक्षण राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 23.02.2015 तक निश्चित रूप से कर दे अन्यथा इस के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

1	2	3	4	5
अनुमण्डल पदाधिकारी का नाम		पूर्व में उपावटित राशि	वर्तमान उपावटन	कुल उपावटन
01.	अनुमण्डल पदाधिकारी अरेराज	शून्य	41,09,030.00	41,09,030.00
02.	अनुमण्डल पदाधिकारी चकिया	शून्य	20,65,637.00	20,65,637.00

कुल-61,74,667.00(एकसठ लाख चौहत्तर हजार छः सौ सड़सठ) रुपये मात्र।


 जिला पदाधिकारी,
 पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 180 / आ0प्र0 दिनांक 25-06-2014

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुमण्डलपदाधिकारी, अरेराज एवं चकिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि खाद्यान्न के उठाव/वितरण से संतुष्ट होकर भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मोतिहारी के पत्रांक 476 दिनांक 11.04.2014 के अनुसार अनुमण्डल पदाधिकारी चकिया को मो0 40,65,637(चालीस लाख पैसठ हजार छः सौ सैतीस) रुपये के खाद्यान्न की आपूर्ति की गयी है जिसके विरुद्ध पूर्व में मो0 20,00,000.00(बीस लाख) रुपये का आवंटन दिया गया है अवशेष भुगतान हेतु मो0 20,65,637.00(बीस लाख पैसठ हजार छः सौ सैतीस) रुपये आवटित किया जा रहा है।


02-06-2014

इसी प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी अरेराज को मो0 1,01,09,030.00(एक करोड एक लाख नौ हजार तीस) रूपये का खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है जिसके विरुद्ध पूर्व में मो060,00,000.00(साठ लाख) रूपये का उपावंटन दिया गया है। अवशेष मो0 41,09,030.00(एकतालीस लाख नौ हजार तीस) रूपये आवंटित किये जा रहे है। इस कार्यालय के झापांक 569 दिनांक 04.11.2013 द्रष्टव्य।

प्रतिलिपि:—जिला प्रबंधक, आई0 टी0 मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—अपरसचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ।



जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।